

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/14/1431

दिनांक : 06/05/2025

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों में अध्यक्षीय पदों के निर्वाचनों हेतु निर्वाचन प्रतीकों के आरक्षण एवं आवंटन हेतु जारी अधिसूचना संख्या प.4(1)(1)नपा/रानिआ/14/1895 दिनांक 24.05.2023 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना की विद्यमान सारणी-1 (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक) के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जायेगी:-

सारणी-1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक)

क.सं.	मान्यता प्राप्त दल	आरक्षित प्रतीक
1.	2.	3.
A- राष्ट्रीय दल		
1.	आम आदमी पार्टी	झाड़ू
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माक्सिसिस्ट)	हथौड़ा, हँसिया और सितारा
5.	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
6.	नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब
B- राज्यीय दल (राजस्थान राज्य के लिए)		
1.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	बोतल
2.	भारत आदिवासी पार्टी	हॉकी और बॉल

आज्ञा से,

(नलिनी कठोटिया)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक : 06/05/2025

क्रमांक:एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/14/1432-1438

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
2. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. अध्यक्ष/सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल करने, आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने एवं राजपत्र के भाग 6(ग) में प्रकाशन हेतु ई-गजट पर अपलोड करने हेतु।
7. स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था कर उन्हें संबंधित मुद्रणालयों को आपूर्ति करने हेतु।

(नलिनी कठोटिया)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/14/1895

दिनांक : 24/05/2023

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों में अध्यक्षीय पदों के निर्वाचनों हेतु निर्वाचन प्रतीकों के आरक्षण एवं आवंटन हेतु जारी अधिसूचना संख्या प.4(1)(1)नपा/रानिआ/14/3880 दिनांक 07.10.2019 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की विद्यमान सारणी-1 (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक) के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जायेगी:-

सारणी-1 (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक)

क.सं.	मान्यता प्राप्त दल	आरक्षित प्रतीक
1.	2.	3.
A- राष्ट्रीय दल		
1.	आम आदमी पार्टी	झाड़ू
2.	बहुजन समाज पार्टी	झांसी
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)	हथौड़ा, हँसिया और सितारा
5.	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
6.	नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब
B- राज्यीय दल (राजस्थान राज्य के लिए)		
1.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	बोतल

आज्ञा से,

(अपर्णा शर्मा)

सहायक सचिव

दिनांक : 24/05/2023

क्रमांक:एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/14/1896 -- 1902
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
2. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. अध्यक्ष/सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल करने, आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने एवं राजपत्र के भाग 6(ग) में प्रकाशन हेतु ई-गजट पर अपलोड करने हेतु।
7. स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था कर उन्हें संबंधित मुद्रणालयों को आपूर्ति करने हेतु।

(अपर्णा शर्मा)

सहायक सचिव